

कार्यालय निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड—देहरादून

बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।

पत्रांक

/स्थानान्तरण/2019–20

दिनांक : 22 जून, 2019

:— कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानानुसार एवं समय सारणी के अनुसार निदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की निदेशालय में हुई बैठक दिनांक 04.06.2019 एवं शासनादेश संख्या 108/xxx (2) /19/30(13)/2017 दिनांक 01.05.2019 के क्रम में मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नांकित मत्स्य निरीक्षक का स्थानान्तरण जनहित/निजी विनय में करते हुए उनकी वर्तमान पदस्थता स्थान से उनके नाम के समुख स्तम्भ—4 में अंकित स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी के अधीनस्थ पदस्थ किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थता स्थान	भविष्य में पदस्थता का स्थान जहाँ कर्मचारी को स्थानान्तरित किया गया है।	जनहित/निजी विनय	सम्बन्धित अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती नीलू क्षेत्री, मत्स्य निरीक्षक	पिथौरागढ़	उधमसिंहनगर	जनहित	सहायक निदेशक मत्स्य उधमसिंहनगर
2.	श्री विरेन्द्र मोहन, मत्स्य निरीक्षक	उधमसिंहनगर	बागेश्वर	निजी विनय	सहायक निदेशक मत्स्य अल्मोड़ा

2. उक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे। स्थानान्तरित कर्मचारी बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए स्थानान्तरित स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकारी—उप निदेशक मत्स्य अथवा सहायक निदेशक मत्स्य का दायित्व होगा कि वे इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए तुरन्त कार्यभार से अवमुक्त कर निदेशालय को सूचित करेंगे।

3. उक्त कर्मचारियों का माह जून 2019 का वेतन पुराने स्थान से कदापि आहरित न किया जाय तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतते पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. स्थानान्तरित कर्मचारी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में नियमानुसार उच्च स्तर पर सम्बन्धित कर्मचारी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता टॉल मटोल अथवा राजनैतिक दबाव डालने की स्थिति में कर्मचारी आचरण नियमावली—1956 के नियम पनिशमैन्ट एण्ड अपील फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम—1 ए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

(डॉ. बी.पी. मधवाल)

निदेशक मत्स्य

उत्तराखण्ड—देहरादून।

.....2.....

पत्रांक 1334 / स्थानान्तरण / 2019-20 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मत्स्य उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी पिथौरागढ़ / बागेश्वर।
3. उप निदेशक मत्स्य, कुमाऊँ मण्डल भीमताल, नैनीताल।
4. सहायक निदेशक मत्स्य पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा / उधमसिंहनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा / रुद्रपुर, (उधमसिंहनगर)।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मत्स्य निदेशालय देहरादून।
7. उपरोक्त कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
8. उपरोक्त सम्बन्धित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डॉ. बी. पी. मधवाल)
निदेशक मत्स्य

उत्तराखण्ड - देहरादून।

कार्यालय निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड-देहरादून

बड़ासी ग्रान्ट (धन्याडी) रायपुर, देहरादून।

पत्रांक

/स्थानान्तरण/ 2019-20

दिनांक : 22, जून, 2019

कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानानुसार एवं समय सारणी के अनुसार निदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की निदेशालय में हुई बैठक दिनांक 04.06.2019 एवं शासनादेश संख्या 108/xxx (2) /19/30(13)/2017 दिनांक 01.05.2019 के क्रम में मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नांकित मिनिस्ट्रियल संवर्ग का स्थानान्तरण जनहित में करते हुए उनकी वर्तमान पदस्थता स्थान से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी के अधीनस्थ पदस्थ किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थता स्थान	भविष्य में पदस्थता का स्थान जहाँ कर्मचारी को स्थानान्तरित किया गया है।	जनहित/निजी विनय	सम्बन्धित अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जानकी नन्दन शाह, कनिष्ठ सहायक	गोपेश्वर, (चमोली)	मत्स्य निदेशालय	जनहित	निदेशक मत्स्य

2. उक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे। स्थानान्तरित कर्मचारी बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए स्थानान्तरित स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकारी-उप निदेशक मत्स्य अथवा सहायक निदेशक मत्स्य का दायित्व होगा कि वे इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए तुरन्त कार्यभार से अवमुक्त कर निदेशालय को सूचित करेंगे।

3. उक्त कर्मचारी का माह जून 2019 का वेतन पुराने स्थान से कदापि आहरित न किया जाय तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतते पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. स्थानान्तरित कर्मचारी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में नियमानुसार उच्च स्तर पर सम्बन्धित कर्मचारी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता टॉल मटोल अथवा राजनैतिक दबाव डालने की स्थिति में कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम पनिशमैन्ट एण्ड अपील फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम-1 ए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

(डॉ. बी.पी.सिंह)

निदेशक मत्स्य

उत्तराखण्ड-देहरादून।

पत्रांक 1332 /स्थानान्तरण/2019-20 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मत्स्य उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून/चमोली।
3. उप निदेशक मत्स्य, गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सहायक निदेशक मत्स्य गोपेश्वर, चमोली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर, देहरादून/गोपेश्वर, चमोली।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मत्स्य निदेशालय देहरादून।
7. उपरोक्त कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
8. उपरोक्त सम्बन्धित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डॉ. बी.यी.मधवाल)
निदेशक मत्स्य

उत्तराखण्ड-देहरादून।

कार्यालय निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड-देहरादून

बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।

पत्रांक

/स्थानान्तरण/ 2019-20

दिनांक : 22, जून, 2019

:- कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानानुसार एवं समय सारणी के अनुसार निदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की निदेशालय में हुई बैठक दिनांक 04.06.2019 एवं शासनादेश संख्या 108/xxx (2) / 19/30(13)/2017 दिनांक 01.05.2019 के क्रम में मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नांकित अनुसेवक का स्थानान्तरण जनहित में करते हुए उनकी वर्तमान पदस्थता स्थान से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी के अधीनस्थ पदस्थ किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थता स्थान	भविष्य में पदस्थता का स्थान जहाँ कर्मचारी को स्थानान्तरित किया गया है।	जनहित/निजी विनय	सम्बन्धित अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती बीना गुसाई, अनुसेवक	उत्तरकाशी	मत्स्य निदेशालय	जनहित	निदेशक मत्स्य

2. उक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे। स्थानान्तरित कर्मचारी बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए स्थानान्तरित स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकारी—उप निदेशक मत्स्य अथवा सहायक निदेशक मत्स्य का दायित्व होगा कि वे इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए तुरन्त कार्यभार से अवमुक्त कर निदेशालय को सूचित करेंगे।

3. उक्त कर्मचारी का माह जून 2019 का वेतन पुराने स्थान से कदापि आहरित न किया जाय तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतते पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. स्थानान्तरित कर्मचारी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में नियमानुसार उच्च स्तर पर सम्बन्धित कर्मचारी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता टॉल मटोल अथवा राजनैतिक दबाव डालने की स्थिति में कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम पनिशमैन्ट एण्ड अपील फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम-1 ए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

(डॉ. बी.पी.मधवाल)

निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड-देहरादून।

पत्रांक 1336 /स्थानान्तरण/2019-20 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मत्स्य उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी।
3. उप निदेशक मत्स्य, गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सहायक निदेशक मत्स्य उत्तरकाशी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर, देहरादून/उत्तरकाशी
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मत्स्य निदेशालय देहरादून।
7. उपरोक्त कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
8. उपरोक्त सम्बन्धित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डॉ.बी.पी.मधवाल)
निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड-देहरादून।

कार्यालय निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड-देहरादून

बड़ासी ग्रान्ट (धन्याढ़ी) रायपुर, देहरादून।

पत्रांक

/स्थानान्तरण/ 2019-20

दिनांक : 22, जून, 2019

:- कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानानुसार एवं समय सारणी के अनुसार निदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की निदेशालय में हुई बैठक दिनांक 04.06.2019 एवं शासनादेश संख्या 108/xxx (2) / 19/30(13)/2017 दिनांक 01.05.2019 के कम में मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नांकित मछुवा का स्थानान्तरण जनहित में करते हुए उनकी वर्तमान पदस्थता स्थान से उनके नाम के समुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी के अधीनस्थ पदस्थ किया जाता है।

क्र.सं	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थता स्थान	भविष्य में पदस्थता का स्थान जहाँ कर्मचारी को स्थानान्तरित किया गया है।	जनहित/नि जी विनय	सम्बन्धित अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	श्री चन्द्रपाल, मछुवा	रुद्रप्रयाग	हरिद्वार	जनहित	सहायक निदेशक मत्स्य हरिद्वार
2.	श्री शीशुपाल, मछुवा	पौड़ी	गोपेश्वर, (चमोली)	जनहित	सहायक निदेशक मत्स्य गोपेश्वर, चमोली

2. उक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे। स्थानान्तरित कर्मचारी बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए स्थानान्तरित स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकारी—उप निदेशक मत्स्य अथवा सहायक निदेशक मत्स्य का दायित्व होगा कि वे इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए तुरन्त कार्यभार से अवमुक्त कर निदेशालय को सूचित करेंगे।

3. उक्त कर्मचारियों का माह जून 2019 का वेतन पुराने स्थान से कदापि आहरित न किया जाय तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतते पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. स्थानान्तरित कर्मचारी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में नियमानुसार उच्च स्तर पर सम्बन्धित कर्मचारी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता टॉल मटोल अथवा राजनैतिक दबाव डालने की स्थिति में कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम पनिशमैन्ट एण्ड अपील फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम-1 ए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

(डॉ. बी.पी. मध्वाल)

निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड-देहरादून।

पत्रांक 1333 /स्थानान्तरण/2019-20 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मत्स्य उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी चमोली/हरिद्वार।
3. उप निदेशक मत्स्य, गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सहायक निदेशक मत्स्य गोपेश्वर, चमोली/हरिद्वार।
5. मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी/गोपेश्वर, चमोली/हरिद्वार।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मत्स्य निदेशालय देहरादून।
7. उपरोक्त कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
8. उपरोक्त सम्बन्धित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डॉ.बी.पी.मधवाल)

निदेशक मत्स्य

उत्तराखण्ड-देहरादून।

कार्यालय निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड-देहरादून

पत्रांक

बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।

/स्थानान्तरण/ 2019-20

दिनांक : 22, जून, 2019

— कार्यालय आदेश —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानानुसार एवं समय सारणी के अनुसार निदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की निदेशालय में हुई बैठक दिनांक 04.06.2019 एवं शासनादेश संख्या 108/xxx (2) / 19/30(13) / 2017 दिनांक 01.05.2019 के क्रम में मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नांकित ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक का स्थानान्तरण जनहित में करते हुए उनकी वर्तमान पदस्थता स्थान से उनके नाम के समुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी के अधीनस्थ पदस्थ किया जाता है।

क्र.सं	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थता स्थान	भविष्य में पदस्थता का स्थान जहाँ कर्मचारी को स्थानान्तरित किया गया है।	जनहित/ निजी विनय	सम्बन्धित अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री साकेत कुमार, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक	ठिहरी	सतपुली, (पौड़ी)	जनहित	उप निदेशक मत्स्य गढ़वाल मण्डल पौड़ी
2	श्री त्रिभुवन चन्द्र मौर्या, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक	चम्पावत	मत्स्य प्रक्षेत्र धौरा, उधमसिंहनगर	जनहित	सहायक निदेशक मत्स्य उधमसिंहनगर
3	श्री संजीव कुमार, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य प्रक्षेत्र धौरा, उधमसिंहनगर	चम्पावत	जनहित	सहायक निदेशक मत्स्य पिंडौरागढ़

2. उक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे। स्थानान्तरित कर्मचारी बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए स्थानान्तरित स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकारी—उप निदेशक मत्स्य अथवा सहायक निदेशक मत्स्य का दायित्व होगा कि वे इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए तुरन्त कार्यभार से अवमुक्त कर निदेशालय को सूचित करेंगे।

3. उक्त कर्मचारियों का माह जून 2019 का वेतन पुराने स्थान से कदापि आहरित न किया जाय तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतते पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. स्थानान्तरित कर्मचारी को सम्बन्धित सक्षम अंधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में नियमानुसार उच्च स्तर पर सम्बन्धित कर्मचारी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता टॉल मटोल अथवा राजनैतिक दबाव डालने की स्थिति में कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम पनिशमैन्ट एण्ड अपील फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम-1 ए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

(डॉ. बी.पी. मध्वाल)

निदेशक मत्स्य

उत्तराखण्ड-देहरादून।

पत्रांक 1335 / स्थानान्तरण / 2019-20 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मत्स्य उत्तराखण्ड शासन ।
2. जिलाधिकारी टिहरी/पौड़ी/चम्पावत/उधमसिंहनगर ।
3. उप निदेशक मत्स्य मत्स्य, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल भीमताल, नैनीताल ।
4. सहायक निदेशक मत्स्य टिहरी/पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी/पौड़ी/पिथौरागढ़/रुद्रपुर, (उधमसिंहनगर) ।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मत्स्य निदेशालय देहरादून ।
7. उपरोक्त कर्मचारी को अनुपालनार्थ ।
8. उपरोक्त सम्बन्धित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

(डॉ. बी. ची. मधवाल)
निदेशक मत्स्य

उत्तराखण्ड—देहरादून ।